राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2354/2023

मनोज चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षक अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, झुंझुनू (पद विरूद्ध) में कार्यर है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 11.09.2023 (अनुलग्कन–1) के द्वारा अधिशाषी अभियंता जलग्रहण, नवलगढ जिला झुंझुनू के पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिबंध की अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसे में स्थानांतरण गलत रूप से किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण Rule-8 of the Rajasthan (Transfered Activities) Rules, 2011 के प्रावधानों के विरूद्ध किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत है, उस पद पर वह पद–विरूद्ध कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण कर उसे अपने नियमित पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को अपने पद पर लगाये जाने के आदेश को स्थानांतरण पर प्रतिबंध के आदेश के विरूद्ध

होना नहीं माना जा सकता है। जहां तक Rule-8 of the Rajasthan (Transfered Activities) Rules, 2011 के प्रावधान का प्रश्न है तो अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है। ऐसे में नियम–8 अपीलार्थी के स्थानांतरण पर लागू नहीं होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)